

कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

:: विज्ञप्ति ::

छिन्दवाड़ा दिनांक 24/03/2017

क्रं./2724/ वि0लि01/स्था0/2017 :- म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पद कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत 07 पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन विज्ञप्ति प्रसारित है :-

1. भर्ती किये जाने वाले पदों का विवरण :-

| क्रं. | संविदा पद का नाम | मानदेय/राशि प्रतिमाह | स्वीकृत पद संख्या |
|-------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर | 10000/- | 07 |

2. आरक्षण तालिका :-

| पदनाम | वर्ग/संवर्ग | ओपन | महिला | कुल | रिमार्क |
|---------------------------------------|-------------------|-----|-------|-----|--|
| कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर | अनारक्षित | 04 | 01 | 05 | - |
| | अनुसूचित जनजाति | 01 | - | 01 | - |
| | अनारक्षित विकलांग | 01 | - | 01 | विकलांगता का प्रकार अस्थिबाधित हाथ से, दृष्टिबाधित अथवा श्रवणबाधित को छोड़कर |
| कुल स्वीकृत पदों की संख्या | | | | 07 | |

2.1 तालिका में दर्शित पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 27/03/2017 से 17/04/2017 तक ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत www.mponline.gov.in पर पोर्टल शुल्क 70 रु. प्रति अभ्यर्थी निर्धारित है।

2.2 संविदा अवधि एक वर्ष की होगी। नियुक्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्यमूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में एक-एक वर्ष की सेवा वृद्धि की जा सकेगी।

3. अर्हताएँ :-

- 3.1 यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान समूह में स्नातक उपाधि, कम्प्यूटर संचालन में दक्षता एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर (न्यूनतम एक वर्षीय) तथा
- 3.2 कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) में दोनों सेक्शन में **Qualified** होना अनिवार्य है।

4. पात्रता :-

- 4.1 उम्मीदवार म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिये।
- 4.2 आयु 01.01.2017 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी।)
(नोट :- ओबीसी, एसटी एवं एससी अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा से छूट म0प्र0 शासन के भर्ती नियमानुसार प्रदाय की जावेगी।)

5. नियुक्ति की प्रक्रिया :-

- 5.1 आवेदक द्वारा दी गई सम्पूर्ण अर्हता अनुसार विज्ञान समूह में स्नातक उपाधि के प्राप्त मार्कस की मेरिट सूची के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक छिन्दवाड़ा जिले की बेवसाइट www.chhindwara.nic.in एवं **MP Online Portal** पर भी समस्त जानकारी देख सकते हैं।
- 5.2 उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर छिन्दवाड़ा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- 5.3 सभी विवादों का न्यायाधिक क्षेत्र छिन्दवाड़ा रहेगा।

5.4 स्नातक की मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।

6. नियुक्ति की शर्त :-

- 6.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
- 6.2 नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाण-पत्र, कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
- 6.3 नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।
- 6.4 नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
- 6.5 नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 6.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
- 6.7 नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।
- 6.8 नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
- 6.9 नियुक्ति पत्र में दर्शायी गयी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 6.10 नियुक्त संविदा कर्मचारी की आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 6.11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।
- 6.12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
- 6.13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

7. प्रतीक्षा :-

चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम दो उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

8. प्रतीक्षा सूची की वैधता :-

प्रतीक्षा सूची की वैधता सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी।

9. संविदा अवधि :-

- 9.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जावेगा। प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाये जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- 9.2 संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जायेगा।
- 9.3 वार्षिकी मूल्यांकन हेतु प्रपत्र पृथक निर्देश से जारी किये जावेंगे।

10. मानदेय :-

शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।

11. यात्रा एवं दैनिक भत्ता :-

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

12. अवकाश :-

12.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।

12.2 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इस आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।

12.3 बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का संविदा मानदेय देय नहीं होगा।

13. स्थान परिवर्तन :-

संविदा के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

14. विशेष :-

14.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस शर्त का नियुक्ति आदेशों में स्पष्टतः उल्लेख किया जावेगा।

14.2 दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

14.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

15. विवादों का निपटारा :-

किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

कलेक्टर

जिला-छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24/03/2017

क्रमांक 2724 /वि0लि01/स्था0/ 2017

प्रतिलिपि-

1. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक संचालक जनसंपर्क कार्यालय छिन्दवाड़ा की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. जिला प्रबंधक लोक सेवा जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य परिचालन अधिकारी एम.पी. ऑनलाईन, डी.बी. मॉल-4th फ्लोर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी छिन्दवाड़ा की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति छिन्दवाड़ा जिले की बेवसाइट www.chhindwara.nic.in पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी अधिकारी नाजिरात शाखा, छिन्दवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला-छिन्दवाड़ा

